

अनवान

1. श्री लादुलाल पिता बरदा धाकड नि. धोला दाता ग्राम मजरा रोपा तह0 जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री छगना पिता रावता गुर्जर नि. रूपपुरा तह0 जहाजपुर
2. श्री शंकर पिता रावता गुर्जर नि. रूपपुरा तह0 जहाजपुर
3. श्री रामसुख पिता लादु मीणा नि. रूपपुरा तह0 जहाजपुर
4. श्री जगदीश पिता छगना मीणा नि. रूपपुरा तह0 जहाजपुर
5. श्री रामनिवास पिता छगना मीणा नि. रूपपुरा तह0 जहाजपुर
6. श्री दुर्गा पिता छगना मीणा नि. रूपपुरा तह0 जहाजपुर
7. श्री सांवरा पिता छगना मीणा नि. रूपपुरा तह0 जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 04.03.2020

प्रार्थी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम रूपपुरा प0 ह0 रोपा प्रथम तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 3554 रकबा 04.01 बीघा भूमि स्थित है। जिसमे स्थायी सीमा की जानकारी नही होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम रूपपुरा प0 ह0 रोपा प्रथम तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 3554 रकबा 04.01 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक रोपा का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 04.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( उम्मेद सिंह राजावत )

उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर (भीलवाडा)